B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 2(d)
Topic – **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992)**
Modified National Policy of Education-1986(1992)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 93

Continued from previous class...

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986(1992) की विशेषताएं

1. **राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था** -

A) **राष्ट्रीय शिक्षाक्रम** - राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढाँचे पर आधारित होगी जिसमें एक कॉमन-कोर होगा एवं अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेग, जिन्हें स्थानीय परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। कॉमन-कोर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता एवं मूल्यों से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। राष्ट्रीय मूल्यों में समान संस्कृति धरोहर, लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता, स्त्री-पुरूषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, परिवार का महत्व एवं वैज्ञानित तरीक के अमल आदि बातें शामिल होंगी।

B) **राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका** - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय शिक्षा परिषद जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय शिक्षा

व्यवस्था को संवारने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इस संस्थाओं के एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक संबंध स्थापित हो तथा अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम मजबूत बनें। इस संस्थओं को तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जाएगा।

2. **समानता के लिए शिक्षा** - यह नीति विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेगी एवं अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए समान अवसर मुहय्या करवायगी -

   A) **महिलाओ की समानता हेतु शिक्षा** - अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। महिलाओं में साक्षरता के प्रसार को तथा उन रूकावटों के दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। मौजूदा और नई प्राद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

Continued to the next class....